



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ20004

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura Industrial Area
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

संख्या : RAJ/NGR-12/LST-4

दिनांक : 31.07.2018

प्रेषित : खान एजेंट, राजश्री II चूना पत्थर खान,
मेसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट-बिरला वाइट),
डी-7, शास्त्री नगर, जोधपुर (राजस्थान), 342 003

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Rajshree II Limestone Mine** (Lease area 400.07 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 12.07.2018 by the undersigned in presence of Sh. K.P.Singh, Sr.GM(Mines)

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 08.06.2016): - 1) Stripping ratio proposal for the the year 2017-18 was 1:2.17 but actual it was 1:1.13; it shows that proporanate mine development has not been carried out. 2) Mine development in the Pit SE-1A (Between grid line 381750E to 382050E and 2942650N to 2942150N) has been carried out which was not proposed during the year 2017-18. 3) Waste dumping has been carried out between grid line 381770E to 381860E and 2942800N to 2942942710N which was not proposed during the year 2017-18.
Rule 48	Records of each bore hole in Form-J have not been maintained.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी. आर. गुर्जर)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो